राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 3790/2022

महेन्द्र कुमार चतुर्वेदी **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, कार्मिक A-4, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
2. प्रमुख शासन सचिव (वित्त), वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर (राज.)।
3. संयुक्त शासन सचिव, राजस्व (ग्रुप–1) विभाग, सचिवालय, जयपुर (राज.)।
4. रजिस्ट्रार, राजस्व मंडल, राजस्थान, अजमेर।
5. निदेशक, राजस्व अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्थान, जयपुर रोड, अजमेर (राज.)।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.08.2022

आदेश की दिनांक : 23.10.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री शोभित तिवाडी, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थी ने यह अनुतोष चाहा है कि अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 27.07.2022 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी से आलोच्य आदेश के क्रम में कोई वसूली नहीं की जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ सहित आदेश दिनांक 04.02.2022 के क्रम में पे प्रोटेक्शन आदि का लाभ बढाते हुये अपीलार्थी को दिया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 24.12.2018 को हुई थी और अपीलार्थी पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के अंतर्गत परिवीक्षा काल में नियत वेतन पा रहा था और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.03.2006 के अनुसार पे प्रोटेक्शन पाने का प्रावधान है। अपीलार्थी आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में आदेश दिनांक 09.02.2021 के द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ और दिनांक 10.02.2021 को कार्यग्रहण किया, जिसके क्रम में अपीलार्थी को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया और दिनांक 24.12.2020 को अपीलार्थी ने अध्यापक ग्रेड तृतीय का परिवीक्षा काल पूर्ण किया। तत्पश्चात् अपीलार्थी राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा) 2018 में नायब तहसीलदार के पद पर आदेश दिनांक 24.12.2021 को नियुक्त हुआ और दिनांक 31.12.2021 को कार्यग्रहण किया और आदेश दिनांक 04.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया। उनका कथन है कि आदेश दिनांक 04.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी को परिवीक्षा काल के दौरान निर्धारित वेतन रूपये 26,500/– दिनांक 31.12.2021 से दिये जाने का आदेश जारी किया गया और पे प्रोटेक्शन का लाभ विभाग द्वारा प्रत्याहरित कर लिया गया तथा आलोच्य आदेश दिनांक 27.07.2022 के द्वारा अतिरिक्त भुगतान की वसूली के निर्देश दिये गये। उनका कथन है कि अपीलार्थी की पूर्व की अध्यापक पद की सेवायें पंचायती राज विभाग की थी और इस प्रकार अपीलार्थी को पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिया जा सकता। जबकि राजस्थान पंचायती राज सेवा नियम, 1996 के नियम 293 के अंतर्गत वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राजस्थान सेवा नियम, 1991 के अंतर्गत ही हैं। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त सेवा का लाभ दूसरी सेवा में नहीं दिया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मोहम्मद खान बनाम राजस्थान राज्य व अन्य (1997 (3) डब्ल्यूएलसी 302) में पंचायत समिति, जिला परिषद एवं पंचायत वाहन चालक आदि का नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन माना है और इस प्रकार लोक सेवक भी राज्य सरकार के अधीन माने हैं और अध्यापक पंचायत राज विभाग के साथ काम करते हैं, परंतु राज्य सरकार के अधीन ही हैं और इस प्रकार राजस्थान सेवा नियम, 1951 के प्रावधानानुसार पे प्रोटेक्शन का लाभ दिये जाने का प्रावधान

है। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 6947/2017 एवं रिछपाल सिंह वाले मामले में तथा ऐसे अन्य मामलों में सिद्धांत प्रतिपादित किया है। इस प्रकार अपीलार्थी भी पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त लाभ नहीं दिया गया, जो विधि एवं नियमों के विपरीत है।

अतः उक्त आधारों पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर आलोच्य आदेश दिनांक 27.07.2022 को अपास्त फरमाया जावे और प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थी से आलोच्य आदेश के क्रम में कोई वसूली नहीं की जावे तथा समस्त पारिणामिक लाभ सहित आदेश दिनांक 04.02.2022 के क्रम में पे प्रोटेक्शन आदि का लाभ बढाते हुये अपीलार्थी को दिया जावे।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने अपील का लिखित जवाब प्रस्तुत करते हुए यह प्रतिवाद किया है कि अपीलार्थी ने दिनांक 24.12.2018 को अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर कार्यग्रहण किया और तदुपरांत अपीलार्थी राजस्थान शिक्षा सेवा नियम, 1970 के अंतर्गत प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ और नियुक्ति प्रदान कर अपीलार्थी ने दिनांक 10.02.2021 को प्रधानाध्यापक के पद पर कार्यग्रहण किया। तत्पश्चात् अपीलार्थी की नियुक्ति अंशदायी पेंशन योजना अंतर्गत होने का अंकन सेवा पुस्तिका में किया गया है। आदेश दिनांक 17.11.2021 की पालना में अपीलार्थी अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर प्रथम कार्यग्रहण दिनांक 24.12.2018 से 2 वर्ष परिवीक्षाधीन प्रशिक्षार्थी की अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण किये जाने पर राजस्थान सिविल सेवा नियम, 2017 के अंतर्गत दिनांक 25.12.2020 से अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर स्थायी किये जाने एवं नियमित वेतन श्रृंखला नियमानुसार अन्य भत्ते आहरण करने की स्वीकृति दी गई और आगामी वार्षिक वेतन वृद्धि दिनांक 01.07.2022 होगी, का इंद्राज सेवा पुस्तिका में किया गया। इसी प्रकार अपीलार्थी प्रधानाध्यापक पद से पूर्व पंचायती राज विभाग में अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर पदस्थापित था एवं प्रधानाध्यापक पद पर परिवीक्षा काल पूर्ण नहीं होने के कारण राजस्व विभाग के पत्र दिनांक 29.11.2019 के अनुसार अपीलार्थी का पूर्व पद पंचायत राज विभाग का होने से वेतन संरक्षण नहीं किया जा सकता, जैसे ही मामला संज्ञान में आया। संस्थान में प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति दिनांक 31.12.2021 से 2 वर्ष की कालावधि हेतु नियमानुसार नियत

पारिश्रमिक रूपये 26,500/– प्रतिमाह भुगतान किये जाने की स्वीकृति जारी की गई और अधिशेष भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु आदेश जारी किया गया।

राजस्थान सेवा नियम, 1951 के प्रावधान राजकीय विभाग के कार्मिकों पर लागू होते हैं। पंचायती राज के कर्मचारियों पर लागू नहीं है क्योंकि पंचायती राज स्वायत्त शासी निकाय है। इनके कार्मिकों के लिये नियुक्ति एवं सेवा की शर्तों को नियमित करने के लिये पृथक रूप से राजस्थान पंचायती राज सेवा नियम, 1996 बने हुये हैं। इस प्रकार आरपीएससी से प्रधानाध्यापक के पद पर चयन होने पर दिनांक 10.02.2021 से अपीलार्थी परिवीक्षा काल में नियत पारिश्रमिक रूपये 39,300/– प्रतिमाह भुगतान किया जाना था जो कि अपीलार्थी को पूर्व पदस्थापन कार्यालय द्वारा नहीं किया गया एवं प्रधानाध्यापक के पद पर का परिवीक्षा काल पूर्ण होने से पूर्व ही अपीलार्थी का चयन नायब तहसीलदार के पद पर हो गया एवं संस्थान द्वारा नियत पारिश्रमिक रूपये 26,500/– प्रतिमाह भुगतान किये जाने का संशोधित आदेश जारी किया गया, जो नियमानुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने अपील का जवाब–उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये यह बहस की है कि अपीलार्थी का नियुक्ति आदेश अध्यापक ग्रेड तृतीय का दिनांक 24.12.2018 को जारी किया गया और वित्त विभाग के अधिसूचना दिनांक 13.03.2006 के अनुसार पे प्रोटेक्शन का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। राजस्थान सेवा नियम, 1951 के नियम 24 के अंतर्गत अपीलार्थी उक्त लाभ पाने का अधिकारी है। आदेश दिनांक 04.02.2022 के द्वारा पे प्रोटेक्शन का लाभ अपीलार्थी के पक्ष में बढाया गया। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 293 के अंतर्गत सेवायें राज्य सरकार के अंतर्गत आती हैं और इस प्रकार अपीलार्थी नियमानुसार पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त करने का हकदार है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावे।

प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता ने जवाब–उल–जवाब का उल–जवाब प्रस्तुत करते हुये बहस की है कि अपीलार्थी तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर दिनांक 20.12.2018 के द्वारा नियुक्ति दी गई। वेतन संरक्षण का लाभ वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.03.2006 के अनुसार राजस्थान सेवा नियम, 1951 में हुये संशोधन के अनुसार लागू होते हैं, जिसके कारण अपीलार्थी का प्रधानाध्यापक

के पद पर नियुक्ति होने के कारण राज्य सेवा नियम, 1951 के नियम का विस्तार आदेश दिनांक 23.11.2021 से हुआ है। अपीलार्थी प्रधानाध्यापक से पूर्व पंचायती राज विभाग में तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर पदस्थापित था एवं प्रधानाध्यापक पद पर परिवीक्षा काल पूर्ण नहीं होने के कारण अपीलार्थी का पूर्व पद पंचायती राज विभाग का होने से वेतन संरक्षण नहीं किया जा सकता और संज्ञान में आते ही संस्थान के संशोधित आदेश दिनांक 27.07.2022 के द्वारा प्रशिक्षण हेतु उपस्थिति दिनांक 31.12.2021 से 2 वर्ष की कालावधि हेतु नियमानुसार नियत पारिश्रमिक रूपये 26,500/– प्रतिमाह भुगतान किये जाने की स्वीकृति जारी की गई और अधिशेष भुगतान की गई राशि की वसूली हेतु आदेश जारी किया गया, जो नियमानुसार है। अतः अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने उभय पक्ष के विद्वान् अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अनुशीलन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय लेवल द्वितीय के पद पर आदेश दिनांक 24.12.2018 को हुई थी और अपीलार्थी पुनरीक्षित वेतनमान नियम, 2017 के अंतर्गत परिवीक्षा काल में नियत वेतन पा रहा था और वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 13.03.2006 के अनुसार पे प्रोटेक्शन पाने का प्रावधान है। अपीलार्थी आरपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षा में आदेश दिनांक 09.02.2021 के द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर नियुक्त हुआ और दिनांक 10.02.2021 को कार्यग्रहण किया, जिसके क्रम में अपीलार्थी को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया और दिनांक 24.12.2020 को अपीलार्थी ने अध्यापक ग्रेड तृतीय का परिवीक्षा काल पूर्ण किया। तत्पश्चात् अपीलार्थी राजस्थान राज्य एवं अधीनस्थ सेवा (संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा) 2018 में नायब तहसीलदार के पद पर आदेश दिनांक 24.12.2021 को नियुक्त हुआ और दिनांक 31.12.2021 को कार्यग्रहण किया और आदेश दिनांक 04.02.2022 के द्वारा अपीलार्थी को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया। जहां तक प्रत्यर्थी विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 27.07.2022 के द्वारा अपीलार्थी से वसूली किये जाने का प्रश्न है, उक्त आलोच्य आदेश एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति अध्यापक ग्रेड तृतीय के पद पर आदेश दिनांक 24.12.2018 के द्वारा हुई थी और जिसकी पालना में अपीलार्थी ने कार्यग्रहण किया।

तत्पश्चात् अपीलार्थी का चयन नियमानुसार प्रधानाध्यापक के पद पर हुआ और अपीलार्थी ने दिनांक 10.02.2021 को कार्यग्रहण किया। अध्यापक ग्रेड तृतीय का 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण होने पर अपीलार्थी को प्रधानाध्यापक के पद पर चरनोपरांत कार्यग्रहण पश्चात् परिवीक्षा काल के दौरान पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया। तदुपरांत अपीलार्थी का चयन नायब तहसीलदार के पद पर आदेश दिनांक 24.12.2021 के द्वारा हुआ और अपीलार्थी ने उक्त पद पर कार्यग्रहण किया। परंतु जहां तक अपीलार्थी द्वारा प्रधानाध्यापक के पद पर परिवीक्षा काल पूर्ण न होने पर नायब तहसीलदार के पद पर पे प्रोटेक्शन का लाभ प्राप्त करने का प्रश्न है, उक्त समस्त अभिलेख से स्पष्ट है कि अपीलार्थी की सेवायें निरंतर जारी रहे और अपीलार्थी द्वारा कोई सेवा विराम नहीं हुआ है और इस प्रकार हमारे मत में अपीलार्थी बिना सेवा विराम हुये अपीलार्थी वेतन संरक्षण (पे प्रोटेक्शन) पाने का हकदार है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा ऐसे मामले में एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 9500/2007 प्रवीण कुमार यादव बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.08.2016 जिसमें निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

> *"Adverting to the issue of protection of the petitioners, it is apposite to reproduce Rule 24 of the Rajasthan Civil Services (Revised Pay Scale) Rules, 2006 (hereinafter referred to as 'the Rules') which came into effect from 20.01.2006, hereunder :"*
>
> *"24. Pay not to exceed pay of the post - A person appointed in Government service to a post on a time scale of pay shall draw as initial pay the minimum of the scale or at such stage as may be prescribed or approved by the Government provided is shall not exceed the pay sanctioned by the comptetent authority for the psot held by him. No special or personal pay shall be granted to a Government servant without the sanction of Government.*
>
> *"Provided further that a probationer-trainee will receive a fixed remuneration at such reted as may be prescribed by the Government from time to time and on completion of period of probation, minimum pay of the pay scale of the post shall be allowed under this rule. From the*

day following the day of successful completion of the period of probation.

Provided further also that a government servant, who is already in regular service of the State Government, if appointed as probationer-trainee for a period of two years on or after 20.1.2006 shall be allowed pay in his/her own pay scale of the previous psot of fixed remuneration at such rates as may be prescribed by the Government from time to time, whichever may be beneficcial to him/her and after successful completion of period of probationer-trainee, his/her pay shall be fixed in pay scale of the new post as per provisions of Rule 26."

It is manifest from readin of teh second proviso to Rule 24 of the Rules that the pay of the government servant who was already in regular service of the State and has been appointed as probationer trainee for a period of two years on or after 20.01.2006 shall be protected.

Therefore, the pay of the petitioner is to be protected as he was already a government servant when he was appointed as Teacher Grade-III at Ajmer District vide order dated 23.03.2005.

Indisputably, there is no break in the service of the petitioner and he was working at Ajmer before joining at subsequent place of posting at Alwar in terms of the later advertisement.

In view of the above, the petition in allowed and the respondents are directed to protect the pay of the petitioner in terms of Rule 24."

इस प्रकार अपीलार्थी उपरोक्त न्यायिक विनिश्चय के आधार पर पे प्रोटेक्शन प्राप्त करने का हकदार है। जहां तक अपीलार्थी पंचायत राज विभाग का कार्मिक होने के आधार पर राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे प्रोटेक्शन का लाभ नहीं दिये जाने का प्रश्न है, ऐसे मामले में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल स्पेशल अपील रिट संख्या 156/1996 नियाज मोहम्मद खान बनाम

राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 02.07.1997 में निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया है :–

"17. Rule 2 (k) of the Rajasthan Panchayat Samities and Zila Parishads Rules, 1959 defines the word 'Service', which means the Rajasthan Panchayat Samiti and Zila Parishads Service. Rule 5 of the Rules deals with the initial constitution of the Service. Rule 6 deals with the source of recruitment. Rule 6-C provides that the vacancies, after the commencement of these Rules, shall be filled :

(a) by direct recruitment ; or

(b) by promotion ; or

(c) by transfer of persons holding corresponding post under a Panchayat Samiti, Pahshad or Government.

18. Rule 18-A authorises the State Government to allot candidates in order of merit from the list of the district where there are no vacancies to another district where there may be vacancies for appointment. Rule 22-A makes a provision for the transfer of a government servant to a post in the Service where there is no member of the service available for appointment. Rule 22-B makes a provisons for recruitment by transfer to the service of the government servant or reduction or abolition of the post. According to this rule, a person declared surplus, with his consent, can be appointed by transfer to the service. Rule 30 deals with re-transfer of a member of service posted under the Government and provides that the persons appointed under Rule 5 may be re-transferred by the Panchayat Samiti or the Zial Parishad, as the case may be, to a post under the Government in consultation with the Head of the Department concerned ; provided the employee has been declared surplus by the Commission. Rule 34 deals with the regularisation of pay, leave, allowances, pension etc. and states that the member of the service shall be regulated mutatis mutandis by the Rajasthan Service Rules and the Rajasthan Travelling Allowances Rules as amended from time to time. Rule 36 provides that matters relating to

increment, fixation of pay, seniority etc. of the employee appointed to the service under Rule 5 shall be such as may be determined by the governemt from time to time. Rule 38 makes a provision that a member of service shall be eligible for appointment or promotion to the next higher post in the State service in accordance with the Rules applicable to those services. The persons so appointed or promoted shall count the period of their holding the post substantively in the service for the purpose of seniority. They will, also, count this period for the purpose of pension in accordance with the provisions of the Rajasthan Service Rules.

19. The Rajsthan State Government, in exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, made the Rajsthan Educational Subordinate Service Rules, 1971. Rule 6 of the Rules, 1971 deals with the Method of Recruitment. Rule 6-D provides that in case of teachers Grade III, as referred in sub-section (f) of the Schedule, vacancies to the extent of 75% in a year shall be filled in by transfer of teachers working in the Panchayat Samiti. This rule, thus, clearly shows that the services of the teachers working in the Panchayat Samiti and Zila Parishads as the services of the teachers working under the Education Department of the State Government, are taken at par and are transferable.

20. The Panchayat Samities, Zial Parishad and the Panchayats derive their authority from the statute and are under the Administrative Control of the State Government can perform. These are the authorities which can be treated as the 'State' for the purpose of Article 12 of the Constitution of India. The provisions of the Act and the Rules, to which we have adverted, clearly state that the State Government has powers (i) to encadre in the Service any other category or grade of officers not included in the service ; (ii) to prescribe duties and powers of employees encadred in the service; (iii) can frame rules relating to disciplinary proceedings and punishment; (iv) is the Chief Superintending and Controlling Authority in respect of all the matters relating to the administratioin; (v) has power to

direct each or any of the Panchayati Raj Institution for the purpose of duties which it failed to perform; (vi) has power to dissolve any Panchayati Raj Institution on being satisfied that either the institution is not competent to perform or persistently making defaults in the performance of the duties or it has, exceeded or abused the power; (vii) the power to appoint an Officer-in-Charge of the Panchayat and other subordinate officers and staff for the discharege of the functions regard to the administration of the Panchayat; and (viii) to determine and adjudicate the matters relating to increment, fixation of pay, seniority etc. of the members of the service.

21. These are the powers which are vested in the State Government under the Act and the Rules. The State Government is, also, authorised under the Panchayati Raj Act to delegate many of its functions to the Rajasthan Panchayati Raj Institutions and, also, to transfer its officers and servant to function under their supervision and control as the Members of the Panchayat Service. The persons working under the Panchayat Service are, also, (i) the persons holding the post encadred in the Panchayat Servie and are laso entitled (ii) being eligible for the post in the State Service or under the State Governemtn in accordance with the Rules made in this behalf; (iii) the period spent by the person in the Panchayat Service, after transfer, can be counted for the purpose of seniority and pension; (iv) salary and allowance of the servant and officers of of the Panchayat Service are to be paid from the funds contributed by the State Governemnt or raised by the Panchayati Raj Institution in the discharge of the Governmental functions; (v) pension is to be paid by the Satte Governemnt out of the Consolidated fund of the State ; (vi) recruitment by transfer to the Governemnt Service on reduction or abolition being declared suplus; (viii) applicability ofth Rajasthan Service Rules, 1951 and the Rajasthan Travelling Allowances Rules to the service relating to the regularistaion of the pay, leave, allowances, pension etc; (ix) Eligibility of the members of the service for

appointment on the next higher post in the State Service; (x) counting of the past period in the service for determining the seniority and pension; (xi) filling-up of 75% of the cacancies in the Rajasthan Education Subordinate Service Rules by way of transfer of teachers workin in the Panchayat Samities; and (xii) the transfer of a person holding a post in the State Service of r post enczdred in the Panchayat Service, are the conditions which clearly show that the persons workin as the members of the Panchayat Service are engaged in the Governmental functions and, therefore, they have to be treated as the Memgbers of the State Civil Service.

22. We are, therfore, ofthe view that the Panchayat Service constituted under Section 89 of the Act, 1994 or under Section 86 of the Rajasthanb Panchayat SAmities and Zila Parishad Act, 1959 is the civil service of the State as it has all the characteristics of that Service. The members of the Panchayat Service, therfore, hold the office for a civil post. The teachers working in the Governemnt Schools which are under the ocntrol of the Panchayat Samities and Zila Parishads,a are, therfore, the civil servant under the State Governemnt and are entitled for relaxation of three years age as has been made applicable to the State Governemnt employees. We may, however, make it clear that the view taken by us in the prsent case applies only to the sservie constiituted under Section 89 of the Act, 194 or under section 86 of the Act, 1959; but will not apply to other employees of the Panchayati Raj Institution who are not the members of the Panchayat Service. The orher employes of the Panchayati Raj Institutions, who are not the members of the Panchayat Service, though working with the Panchayat, cannot be treted as the members of the State Civil Services."

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक विनिश्चय के आधार पर यह कहना उचित नहीं है कि पंचायती राज विभाग का राज्य सरकार का विभाग नहीं है या स्वायत्त शासी संस्था है। चूंकि उक्त विभाग भी राज्य सरकार के नियंत्रण में ही कार्य करता

है और राजस्थान सेवा नियम की लगभग पालना भी की जाती है। इस प्रकार हमारे मत में उपरोक्त न्यायिक विनिश्चयों एवं नियमों के आधार पर अपीलार्थी नायब तहसीलदार के पद पर वेतन संरक्षण का लाभ प्राप्त करने का हकदार है, जो प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिया गया है और अब उसकी वसूली किया जाना न्यायोचित प्रकट नहीं होता है। अतः उक्त तर्कों के आधार पर अपीलार्थी की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाती है और आलोच्य आदेश दिनांक 27.07.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त किया जाता है तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जाते हैं कि उक्त आदेश के क्रम में अपीलार्थी से पे प्रोटेक्शन के संबंध में कोई वसूली नहीं की जावे।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य